

प्रति निर्णय दिनांक 27-1-2020

स्थगन प्रार्थनापत्र सं. R.M./2017/17

तेजासिंह बनाम बावासिंह, वगैरह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

आरोह
द्वारा

द्वारा या कार्यवाही पर प्रतिपिपत्र पत्र

नम्बर व तारीख
अनुक्रम जो इस
द्वारा की तारीख
में जारी हुए

27-1-20

वकुलाय अपास्थित / अप्राथी सं. 9 की ओर से
सरकारी वकील अपास्थित / अप्राथी सं. 2 से 5,
अपास्थित / इस प्रकरण से संबंधित मूल अपील
में निर्णय हो चुका है। अतः अब इस स्थगन
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से
यह स्थगन प्रार्थनापत्र सारिज किया जाता है।
प्रवाली फाइल नुमांदा होकर नम्बर से कम
हो। आदेश से इजलास सुनाया गया।
यह प्रकरण मूल अपील के साथ संलग्न किया
जावे।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (राज.)